राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा मेरठ मण्डल की समीक्षा बैठक दिनांक 21.08.2017 का कार्यवृत्त :

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रो.(डॉ.) राम शंकर कठेरिया ने दिनांक 21.08.2017 को मेरठ मण्डल के सभी जिलों के अनुसूचित जाति पर अत्याचार निवारण संबंधी तथा अनुसूचित जाति सम्बन्धी विकास की योजनाओं की प्रगति सम्बन्धी कार्यों की समीक्षा की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संयुक्त सचिव, डॉ स्मिता एस. चौधरी तथा अनुसंधान अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में आयुक्त मेरठ मण्डल व IG, मेरठ समेत सभी 6 जिलों के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्नक 1 पर है।

बैठक में आयुक्त मेरठ मण्डल ने सूचित किया कि मण्डल के सभी जिलों में तहसील दिवस पर समस्याओं के समाधान हेतु व्यवस्था है तथा आवश्यकतानुसार mobile squad द्वारा तत्काल मौके पर जाकर भी समस्या की जानकारी प्राप्त की जाती है।

आयोग के अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों को आयोग के कार्यों के बारे में बताया व सूचित किया कि यह बैठक सम्बन्धित अधिकारियों की अनुसूचित जाति संबंधी कार्यों में / प्रकरणों में संवेदनशीलता और बढ़ाने हेतु, अनुसूचित जाति लोगों की समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही की आयोग की अपेक्षा से अवगत कराने हेतु तथा अब तक अत्याचार निवारण तथा विकास योजनाओं पर कृत कार्यवाही की आयोग द्वारा समीक्षा के लिए आयोजित की गई है।

समीक्षा के दौरान सामने आए बिन्दुओं व अपेक्षित कार्यवाही निम्न है:

(क) <u>156(3) के बाद ही प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होना:</u>

आयोग ने पाया कि प्रत्येक जिले में कई प्रकरणों में FIR मा. न्यायालय के 156(3) के आदेशों के बाद दर्ज की जाती है। अति गंभीर प्रकरणों जैसे हत्या व बलात्कार में भी लगभग सभी जिलों में FIR; 156(3) के आदेश के पश्चात् दर्ज पायी गई।

आयोग का मत है कि FIR दर्ज करवाने के लिए यदि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मा. न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है तो स्पष्ट है कि थानों में पुलिस अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की समस्याओं के निराकरण हेतु संवेदनशील नहीं है। अत: IG, Zone Meerut तथा सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की गई कि वे अपने अधीनस्थों को इसकी पुनरावृत्ति न होने हेतु आवश्यक निर्देश देंगे तथा अपने स्तर से भी 156 (3) के अधीन दर्ज FIR की समीक्षा करते हुए FIR दर्ज न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे।

(कार्यवाही: पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ व सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक)

(ख) **जिला स्तरीय vigilance व समीक्षा समिति की बैठकें:**

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट 2015 की धारा 17 के अधीन प्रत्येक जिले में अत्याचार के प्रकरणों की समीक्षा हेतु एक जिला स्तरीय vigilance व समीक्षा समिति का गठन तथा वर्ष में उसकी 4 बैठकों का प्रावधान है।

गौतमबुद्ध नगर में उक्त समिति का गठन ही नहीं हुआ , बागपत में 4/2016 से मात्र 2 बैठकें, हापुड़ में 2016 में 6 किन्तु 2017 में कोई बैठक नहीं, गाजियाबाद में 2016 से मात्र 2 बैठक, बुलन्दशहर में कोई बैठक नहीं तथा मेरठ में कुछ बैठक आयोजित पायी गई।

उक्त बैठकें अनिवार्य हैं। जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर ने तत्काल समिति का गठन करके आयोग को अवगत कराने व सभी जिलाधिकारियों ने वर्ष में कम से कम 4 बैठक करवाने का आश्वासन आयोग को दिया। आयुक्त, मेरठ मण्डल इस बिन्दु को अपनी मण्डलीय समीक्षा का भाग बनायेंगे।

(कार्यवाही: सभी जिलाधिकारी व आयुक्त मेरठ मण्डल)

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट की धारा 9 के अधीन नोडल अधिकारी का नामांकन तथा उनके द्वारा कार्यवाही:

आयोग ने पाया कि गौतमबुद्ध नगर में अभी तक नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं है। आयोग ने अपेक्षा की कि गौतमबुद्ध नगर में तत्काल नोडल अधिकारी का नामांकन किया जाए। सभी नोडल अधिकारी द्वारा उनके दायित्वों का निवाहन उचित प्रकार नहीं किया जा रहा है, चूंकि आयोग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट, 2015 के अधीन अत्याचार प्रकरणों में पीड़ितों को उचित व समय से आर्थिक सहायता तथा पुनर्वास प्रदान न करने के कई प्रकरण सभी जिलों में पाए हैं। अतः आयोग की जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि वे संवेदनशील नोडल अधिकारी नामित करेंगे तथा nodal अधिकारी की कृत कार्यवाही की समीक्षा करेंगे।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट, 2015 के अधीन दर्ज प्रकरण पर कार्यवाही तथा पीड़ितों को दी गई नियमानुसार आर्थिक व पुनर्वास सहायता:

उपरोक्त की 2014-15 से 2017-18 (जून 2017 तक) के प्रकरणों की समीक्षा में पाया गया कि प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट, 1989/2015 के अधीन दर्ज प्रकरणों में गम्भीर प्रकृति के प्रकरणों (यथा हत्या, बलात्कार, पलायन, आगजनी) में FIR दर्ज है, कुछ में चार्जशीट भी न्यायालय में प्रस्तुत है किन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट के अनुसार इन प्रकरणों में देय सहायता धनराशि नियमानुसार नहीं है।

उदाहरण स्वरूप:

- बागपत में 2017-18 में 3 हत्या व 3 बलात्कार के प्रकरणों में 3 हत्या व 2 बलात्कार प्रकरणों में चाजशीट न्यायालय में प्रस्तुत होना सूचित किया गया। उसके सापेक्ष मात्र रू 12.37 लाख व रू 3 लाख की आर्थिक सहायता दी गई।
- बुलन्दशहर में 2017-18 में 5 गंभीर प्रकरणों में से 1 बलात्कार प्रकरण में चाजशीट प्रस्तुत होना सूचित किया गया पर आर्थिक सहायता शून्य है।
- गौतमबुद्ध नगर में 2017-18 में 2 बलात्कार के प्रकरणों में चाजशीट प्रस्तुत है किन्तु आर्थिक सहायता रू **7.50** लाख के स्थान पर शून्य है।
- गाजियाबाद में 2017-18 में 1 बलात्कार प्रकरण में चाजशीट प्रस्तुत है किन्तु आर्थिक सहायता शून्य है।
- मेरठ में 2017-18 में 1-1 हत्या व बलात्कार प्रकरणों में चाजशीट निगत है किन्तु आर्थिक सहायता शून्य है।
- हापुड़ में 2017-18 में 1 हत्या व 4 बलात्कार प्रकरणों में चाजशीट प्रस्तुत बतायी गयी किन्तु आर्थिक सहायता मात्र रू 82,500/- व रू 1,50,000/- दी गई है।

इसी प्रकार हर वर्ष में विसंगतियाँ हैं। जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि इन विसंगतियों की जांच कर सभी वर्षों के इन प्रकरणों में उपयुक्त आर्थिक सहायता निगत करते हुए 10 दिन में वर्षवार सुस्पष्ट आख्या आयोग को भेजेंगे।

उक्त रिपोर्ट में 2015 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 2016 के अनुसार हत्या/बलात्कार के पीड़ितों को प्रदान पुनर्वास व अन्य सहायता का भी वर्णन दंगे।

कुछ जिलाधिकारियों ने बजट न होने की सूचना दी, इसपर आयोग ने सूचित किया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियम अत्याचार निवारण एक्ट 2016 में बजट अभाव में TR 26 से निकासी का प्रावधान है, उत्तर प्रदेश का 2017-18 का बजट इस माह पास हो गया है। बजट उपलब्धता में कमी पर सीधे प्रमुख सचिव समाज कल्याण से संपर्क करने का परामर्श भी दिया गया।

(कार्यवाही : सभी जिलाधिकारी, मेरठ मण्डल)

(ङ) <u>अपराधसिद्धि (Conviction):</u>

2014-15 से 2017-18 के सभी प्रकरणों में conviction rate की सूचना नहीं दी गई थी। नए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट 2015 के बाद ट्रायल की भी समय सीमा निर्धारित की गई है अत: 2016-17 व 2017-18 में प्रस्तुत चाजशीट पर ट्रायल की स्थिति की समीक्षा संबंधित special public prosecutor व जिला न्यायाधीश के साथ किया जाना अपेक्षित था जो कि किसी जिले में नहीं किया पाया गया।

अत: आयोग अपेक्षा करता है कि जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने स्तर पर उक्त की समीक्षा नियमित रूप से करगे।

(च) विकास योजनाओं की समीक्षा:

I. **प्रधानमंत्री आवास योजना:** समीक्षा म पाया गया कि बागपत व गौतमबुद्ध नगर म अनुसूचित जाति को शून्य, हापुड़ म 13%, गाजियाबाद म 20% आवास आवंटित किये ह जो उ.प्र.का लगभग 21% अनुसूचित जाति जनसंख्या से बहुत कम है।

इस हेतु शीघ्र पुन: सव कराने का आश्वासन जिलाधिकारियों ने दिया।

II. **मनरेगा:** मनरेगा म जॉब काड व मानव दिवस राशन म कोटेदार प्रतिशत की स्थिति संतोषजनक है, गाजियाबाद म अनुसूचित जाति मानव दिवस मात्र 2% दशाये गये ह उक्त म सुधार अपेक्षित है।

III. **हैन्डपम्प लगाना:** बागपत, हापुड़ (3.52%), गाजियाबाद (4%) व मेरठ (3%) अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात म नहीं है। सुधार की अपेक्षा की गई है।

IV. **कृषि व आवासीय भूमि आवंटन:** अनुसूचित जाति को कृषि व आवासीय भूमि आवंटन का प्रतिशत बुलन्दशहर म क्रमश: 60.39% व 57.75% है। शेष जिलों म शून्य है जिसम सुधार की अपेक्षा है।

बागपत म 20 लाभार्थियों को आवंटित आवसीय भूमि पर कब्जा न देने की रिपोर्ट है। उसपर जिलाधिकारी द्वारा त्वरित आवश्यक कायवाही किए जाने की अपेक्षा की गई।

V. **उज्ज्वला योजना :** उज्जवला योजना म कुल कनेक्शन म से अनुसूचित जाति को दिए गए कनेक्शन की सूचना 10 दिन म जिलाधिकारियों द्वारा आयोग को भेजी जानी अपेक्षित है। जिलाधिकारी प्रयास करगे कि कनेक्शन अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात म दिए जाए।

VI. **जनधन खाता:** जनधन खाते खुलवाने व शिक्षा ऋण वितरण म क्रमश: बुलन्दशहर व गौतमबुद्ध नगर म स्थित संतोषजनक है। शेष म अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात से कम उपलब्धियां ह। उसम सुधार की अपेक्षा की गई।

VII. **छात्रावास:** बागपत व हापुड़ म अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु कोई छात्रावास नहीं है।

VIII. **छात्रवृत्ति:** मेरठ, गौतमबुद्ध नगर ने 2015-2016, 2016-17 म क्रमश: 49.12%, 78.92% (दशमोत्तर) व 76.7% (प्री-मैट्रिक) छात्रवृत्ति व गौतमबुद्ध नगर ने क्रमश: 90% व **67.9%** छात्रवृत्ति अनुमोदित की है।

आयोग को सभी जिलों के लगभग 15-18 कॉलेजों से छात्रवृत्ति/फास प्रतिपूर्ति न प्राप्त होने के प्रकरण प्राप्त हो रहे ह। उक्त के समय से न मिलने/न प्राप्त होने

से विद्यार्थियों को आर्थिक कठिनाई हो रही है। सभी जिलों के उक्त कॉलेजों के नाम बैठक में नोट करा कर जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे इनपर विशेष ध्यान देकर विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करगे।

IX. **आयोग म लम्बित प्रकरण:** आयोग म मेरठ मण्डल के लम्बित प्रकरणों की सूची पूव म भेजी जा चुकी है।

जिलाधिकारियों ने सूचना/रिपोट प्रस्तुत कर दी ह व कुछ ने 10 दिन म पूण रिपोट भेजने का आश्वासन दिया है। अत्याचार संबंधी प्रकरणों म पुलिस द्वारा कृत कायवाही के साथ-साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रकरण म दी गई आर्थिक सहायता व पुनवास की पूण सूचना आयोग को 10 दिन म भेजे जाने की अपेक्षा है।

आयोग म प्राप्त प्रकरणों म प्राय: जिलों से कई अनुस्मारक के पश्चात् भी रिपोट प्राप्त नहीं होती है। आयुक्त, मेरठ मण्डल ने भी इस बिंदु को गंभीरता से लेते हुए सभी अधिकारियों को समय-सीमा के अन्दर आयोग को रिपोट भेजने के निदश दिए।

अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सभी उपस्थित अधिकारियों से अनुरोध किया कि उनके द्वारा अनुसूचित जाति के व्य□क्□□ो □ी □□स□□□ □□□ ध□□□ □□□ □□□□□□□ रू□ □□त□ि□ कायवाही सुनिश्चि□ □ी □□□□ FIR □त□□ल दज कर तथा समय सीमा म विवेचना सुनिश्चि□ □□□ पीड़ितों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्या□□ ि□□□□ ि□□□ 2016 □□□□रू□ □□□ □□ आर्थिक सहायता व पुनवास प्रदान की जाये।

□□□ □□श□□□ □□ □□□ □□□ण□□ □□3 प्रकरणों म सुनवाई की तथा उसके पश्चा□ □□□□ □न्□ □□□□□ल□□ घोसी का निरीक्षण ि□□□

□क□ की कायवृत्त □□□ □□ि□□□ □ी □□□□□

****